

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना हेतु  
आवेदन प्रारूप

प्रति,

1. कलेक्टर,  
जिला .....मध्यप्रदेश।
2. संयुक्त/ उप संचालक,  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,  
जिला ..... मध्यप्रदेश।

आवेदिका का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ	आवेदिका के पति का नवीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

विषय :- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता प्रदाय करने बावत।

**भाग- एक : आवेदिका की जानकारी**

1. आवेदिका की 9 अंकों की समय आईडी क्रमांक 

--	--	--	--	--	--	--	--	--
2. आवेदिका का 12 अंकों का आधार कार्ड नम्बर 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

  
(यदि उपलब्ध हो तो)
3. आवेदिका का नाम .....
4. जाति वर्ग ..... 

एससी	एसटी	ओबीसी	सामान्य
------	------	-------	---------
5. आवेदिका का जन्म तिथि ...../...../.....आयु.....
6. आवेदिका का 10 अंकों का मोबाईल नम्बर .....
7. कल्याणी के मूल निवासी स्थान व पूर्ण पता .....
8. स्व. पति का नाम ..... पूर्व विवाह होने की दिनांक .....
9. स्व. पति के मृत्यु पंजीयन का क्रमांक ..... एवं दिनांक .....
10. क्या परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है ? हां / नहीं  
यदि हां तो बीपीएल कार्ड क्रमांक .....जारी दिनांक .....
11. क्या आवेदिका आयकरदाता है ? हां / नहीं  
आवेदिका की वार्षिक आय .....
12. क्या आवेदिका शासकीय कर्मचारी/अधिकारी है ? हां / नहीं
13. क्या आवेदिका को परिवार पेंशन प्राप्त हो रही है ? हां / नहीं
14. क्या आवेदिका दिव्यांग है ? हां / नहीं  
यदि हां तो दिव्यांगता का प्रकार ..... प्रतिशत.....
15. आवेदिका का बचत खाता नम्बर की जानकारी

बचत खाता नम्बर	बैंक का नाम व पता	आईएफएस कोड नम्बर

16. आवेदिका के नाबालिग बच्चों की जानकारी (यदि है तो)
- बच्चों का नाम .....आयु..... लिंग.....समय आईडी .....
  - बच्चों का नाम .....आयु..... लिंग.....समय आईडी .....



:: स्व प्रमाणित घोषणा पत्र ::

मैं ..... पति ..... निवासी

..... सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती हूं, कि मैं

1. मध्यप्रदेश के मूल निवासी हूं,
2. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है,
3. आयकरदाता नहीं हूं,
4. शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं हूं,
5. मुझे किसी प्रकार की परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है,
6. मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही मेरा पति था,

ऊपर बताई गई जानकारी व आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य छिपाकर सहायता राशि प्राप्त कर ली गई है तो मुझसे मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा वसूल की जा सकती है।

दिनांक .....

स्थान .....

आवेदिका के हस्ताक्षर/  
अंगूठे का निशान

:: पावती ::

कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण  
.....जिला .....म.प्र.

क्रमांक .....

दिनांक .....

श्रीमती..... समग्र आईडी .....

पति..... समग्र आईडी ..... निवासी

ग्राम/नगर.....

तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र.

द्वारा मुख्यमंत्री कल्याण विवाह सहायता योजना के लिए किया गया आवेदन पत्र मेरे द्वारा प्राप्त किया गया।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

कलेक्टर, संयुक्त/उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,

जिला .....मध्यप्रदेश

**// स्वीकृति आदेश //**

कार्यालय कलेक्टर

.....जिला .....म.प्र.

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....  
पति..... निवासी ग्राम/नगर .....  
तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र.  
द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे  
द्वारा किया गया है।

परीक्षण उपरांत निम्न कारणों से आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता  
योजना स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना में निर्धारित पात्रता के मापदण्डों को पूर्ति होने  
के कारण विवाह सहायता स्वीकृत किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

कलेक्टर,

जिला .....मध्यप्रदेश

## // अस्वीकृति आदेश //

कार्यालय कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

.....जिला .....म.प्र.

क्रमांक .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती.....  
पति..... निवासी ग्राम/नगर .....  
तहसील/विकासखण्ड..... जिला .....म.प्र.  
द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के लिए प्राप्त आवेदन पत्र का परीक्षण मेरे  
द्वारा किया गया है।

2. परीक्षण उपरांत निम्न कारणों व दस्तावेजों के न होने के कारण आवेदिका को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का आवेदन अस्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की जाती है :-

- 1 दम्पति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र हां/ नहीं
- 2 कल्याणी के पूर्व पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र हां/ नहीं
- 3 कल्याणी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र कि उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृतक ही आवेदिका का पति था का उल्लेख हों, हां/ नहीं
- 4 कल्याणी व उसके पति की 9 अंको की समग्र आईडी हां/ नहीं
- 5 कल्याणी व उसके पति का आयु प्रमाण पत्र हां/ नहीं
- 6 कल्याणी की बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक व आईएफएस कोड स्पष्ट प्रदर्शित हो हां/ नहीं
- 7 समक्ष अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की छायाप्रति हां/ नहीं
- 8 कल्याणी का आयकरदाता न होने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हां/ नहीं
- 9 कल्याणी द्वारा शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हां/ नहीं
- 10 कल्याणी द्वारा परिवार पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र हां/ नहीं
- 11 कल्याणी के पति का इस आशय का स्व प्रमाणित घोषणा पत्र कि उसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नि नहीं है (पूर्व से अविवाहित होने की स्थिति में लागू नहीं) हां/ नहीं
- 12 कल्याणी व उसके पति के पासपोर्ट साईज के दो-दो फोटोग्राफ व दंपति का विवाह के समय का संयुक्त फोटोग्राफ हां/ नहीं

दिनांक .....

स्थान .....

नाम/पदनाम/हस्ताक्षर

कलेक्टर, संयुक्त/उप संचालक

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,

जिला .....मध्यप्रदेश